PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

Rohtak Circle

The 16th December, 1987

No. 28RA/199/VI/815.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land is likely to be needed by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, Kansala to M[illegible]kheri road, tehsil Rohtak, District Rohtak, It is therefore, hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Officer, Rohtak is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

Plan of the land may be inspected in the offices of the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Officer, Rohtak and Executive Engineer, Provincial Division No. 1, P.W.D., B. & R. Branch, Rohtak.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/Village Hadbast No.	Area in acres	Rectangle/Killa No.
Rohtak	Rohtak	Kansala, 49	9·21	$\frac{42}{11, 12, 19/1, 19/2, 22, 23}$, $\frac{51}{3/1, 3/2, 4, 7, 8, 14, 15, 16/1, 16/2, 25}$, $\frac{50}{20, 2}$, $\frac{65}{1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 23, 24}$, $\frac{71}{20, 21}$, $\frac{72}{3, 4, 6, 7, 14, 15, 16/1, 16/2, 25}$, $\frac{90}{1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24}$, $\frac{98}{3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 24, 25/1, 25/2}$, $\frac{115}{5, 6}$, $\frac{116}{1, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22}$, $\frac{123}{2, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 23, 24}$, $\frac{139}{4/1, 5/1}$, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 194, 195, 144/2

(Sd.) . . .,
Superintending Engineer,
Rohtak Circle, P. W. D., B. & R. Branch,
Rohtak.

लोक निर्माण विभाग

भवन तथा मार्ग शाखा

रोहतक वृत

दिनांक 16 दिसम्बर, 1987

सं० 28आर,ए./199/VI/815.—चूंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक खर्चे पर किसी सार्वजनिक प्रयोजन नामत: कान्साला से मोरखेड़ी सड़क के निर्माण के लिए अपेक्षित है एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

यह घोषणा 1891 के भूमि अभिग्रहण की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सबके लिए है जिनसे वह सम्बन्धित हो और उक्त अधिनियम 7 की धारा के उपबन्धों के अधीन जिला राजस्व अधिकारी-कम-भूमि कलैक्टर, लो० नि० वि०, भ० तथा मा० शाखा, रोहतक को उक्त भूमि अभिग्रहण करने के आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता हैं।

भूमि के नक्शे का अभिग्रहण जिला राजस्व अधिकारी-कम-भूमि कलैक्टर, लो० नि० वि०, भवन तथा मार्ग शाखा, रोहतक और कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल, नं० 1 कार्यालयों में देखा जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/ग्राम हदबस्त नं०	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	खसरा नं०
रोहतक	रोहतक	कन्साला 49	9.21	$\frac{42}{11,\ 12,\ 19/1,\ 19/2,\ 22,\ 23}$, $\frac{51}{3/1,\ 3/2,\ 4,\ 7,\ 8,\ 14,\ 15,\ 16/1,\ 16/2,\ 25}$, $\frac{50}{20,\ 2}$, $\frac{65}{1,\ 2,\ 9,\ 10,\ 12,\ 13,}$ $\frac{65}{18,\ 19,\ 23,\ 24}$, $\frac{71}{20,\ 21}$, $\frac{72}{3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 14,\ 15,\ 16/1,\ 16/2,\ 25}$, $\frac{90}{1,\ 2,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 18,\ 19,\ 22,\ 23,\ 24}$, $\frac{98}{3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 14,\ 15,\ 16,\ 17,\ 24,\ 25/1,\ 25/2}$

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव हदबस्त नं०	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	खसरा नं०
रोहतक	रोहतक	कन्साला, 49	9.21	115 5, 6 116 21, 22 139 4/1, 5/1 116 1, 10, 11, 12, 19, 20, 123 2, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 23, 24 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 194, 195, 144/2.

(हस्ताक्षर) . . .,
अधीक्षक अभियन्ता,
रोहतक सर्कल, लो. नि. वि, म. एवं स. शाखा,
रोहतक (हरियाणा)।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 10 नवम्बर, 1987

सं० ओ०वि०/एफ० डी०/240-87/44108.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सहानी सिल्क मिल्स प्रा.लि. 13/7, मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री ब्रज बहादुर मार्फत हिन्द मजदूर सभा 29, शहीद चौक, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री धर्मेन्द्र कुमार, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/44-87/44115.— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० आटों मीटरज लि० मथुरा, रोड़ बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री भिसवीना ककड़, मार्फत श्री अमर सिंह शर्मा, लेबर यूनियन, आफिस एस. एस. आई. प्लाट नं० 1-के/14, एन. आई. टी. फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक

अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बंन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास मे देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या मिस वीना ककड़ की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/236-87/44.22.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० आदर्श इन्टरप्राईजिज, 14/7, गर्वनमैन्ट स्कू० के सामने मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री बचन सिंह मार्फत देवी सिंह प्रेमी अखिल भारतीय मजदूर संगठन सराय ख्वाजा फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सबंधित मामला/मामले हैं न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री बचन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/234-87/44129.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० लेमाउन्ट गारमेन्टस मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री प्रवेश कुमार मार्फत फरीदाबाद कामगार यूनियन, 2/7, गोपी कालोनी ओल्ड फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री प्रवेश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/पानी/30-87/44 36.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० मैनेजर, दी इन्द्री प्राईमरी को-ओप्रेटिव एग्रीकल्चरल बैंक लि० इन्द्री (करनाल) के श्रमिक श्री प्रेम चन्द, पुत्र श्री रामजी लाल गांव व डा० क्योड़क तहसील कैथल, जिला कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84—3—श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री प्रेम चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।